वाराणसी विकास प्राधिकरण वाराणसी

राजा उदय प्रताप मार्ग पन्ना लाल पार्क वाराणसी-221002

Ph: 0542-2283305/06, Fax: 0542-2283307, E-mail: vdavaranasi@gmail.com, Website:www.vdavns.com

वाराणसी विकास प्राधिकरण से सम्बन्धित दिनांक 24.09.2024 को वाराणसी शहर में प्रकाशित न्यूज पेपर", दैनिक जागरण, अमर उजाला, आज, हिन्दुस्तान, राष्ट्रीय सहारा, न्यायाधीश, परफेक्ट मिशन, ज्ञानशिखा टाइम्स, तरुणमित्र न्यूज़, "समाचार पत्र कटिंग का विवरण।

अमर उजाला–दि0 24.09.2024

भविष्य के बनारस के लिए विकास प्राधिकरण बना रहा भूमि बैंक

जागरण विमर्श

सैयद हसन • जागरण

वाराणसी : प्राचीन धर्म नगरी काशी में जिस तत्परता से विकास हो रहा, उसी तेजी से विस्तार भी हो रहा। उसे सुनियोजित करने के लिए विकास प्राधिकरण निरंतर कार्य कर रहा है। अब एक कदम आगे बढ़ते हुए लैंड बैंक बनाया जाएगा। इसके लिए टाउनशिप कंपनी यूनिटेक की जमीन खरीदी जाएगी। इसकी प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। इससे भविष्य के बनारस के लिए जमीन की कमी नहीं होगी। कुछ इस तरह की योजनाओं के साथ ही वाराणसी विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष पुलकित गर्ग ने सोमवार को नदेसर स्थित जागरण कार्यालय में 'शहर कैसे बने रहने लायक और भविष्य का नियोजित बनारस' विषयक विमर्श में काशी के विकास का विजन लोगों के सामने रखा।

कहा, लैंड बैंक न होने से किसी नई योजना पर काम कर पाना मुश्किल हो रहा है। जमीन होने से अगली महायोजना में उस पर केंद्रित होते हुए विकास योजनाएं बनाई जा सकेंगी। इसके लिए किसानों से भी जमीन खरीद को लेकर बातचीत की जा रही है।

दूरदर्शी सोच के तहत चौड़ी की जाएंगी बाहरी सड़कें : आइआइटी दिल्ली से सिविल इंजीनियरिंग में स्नातक के बाद आइएएस बने पुलकित गर्ग ने महायोजना-2031 को धरातल पर उतारने का खाका भी तैयार कर लिया है।

उन्होंने कहा कि दूरदर्शी सोच के तहत कम आबादी या जिन सड़कों के दोनों तरफ अभी निर्माण नहीं हुए उन्हें चिह्नित कर महायोजना के हिसाब से चौड़ा किया जाएगा। उनके आसपास सुनियोजित विकास की रूपरेखा तैयार की जाएगी। लोक निर्माण विभाग अब तक 12 सड़कों का चिह्नांकन कर चुका है। चौड़ीकरण में आने वाला खर्च वीडीए वहन करेगा। जरूरत अनुसार शासन से भी बजट लिया जाएगा।

निश्शुल्क ओपेन थिएटर का उठाएं लाभ : संस्कृति के शहर बनारस में सांस्कृतिक आयोजनों के लिए विभिन्न स्थानों पर ओपेन थिएटर समेत कई ऐसे स्थान हैं जिनका संगीत, नाट्य आदि के लिए निश्शुल्क उपयोग किया जा सकता है। इसमें सांस्कृतिक संकुल चौकाघाट व पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्मृति उपवन पड़ाव परिसर स्थित ओपन थिएटर शामिल हैं।

शहर : कैसे बनेगा रहने लायक?

- वीडीए वीसी ने कहा महायोजना-2031 को धरातल पर उतारने के लिए चौड़ी कराई जाएंगी सड़कें
- शहर को अतिक्रमण मुक्त करने के लिए लोगों में सामाजिक चेतना व नागरिक बोध का होना जरूरी

वीडीए उपाध्यक्ष पुलकित गर्ग • जागरण

शहर निर्माण में नागरिकों की जिम्मेदारी अहम

वीडीए उपाध्यक्ष पुलकित गर्ग ने कहा कि किसी भी शहर की खूबसूरती वहां के रहने वाले लोगों के विचार व संस्कारों से होती है। शहर यदि अतिक्रमण से जूझता है तो उसके लिए वहां के नागरिक काफी हद तक जिम्मेदार होते हैं। कहा कि सुविधा युक्त समाज बनाने में सामाजिक चेतना व नागरिक बोध का महत्व होता है।

सारनाथ में भी पुरा पर्यटन विकास योजना के तहत पुरातत्व संग्रहालय के सामने और नगवां स्थित संत रविदास पार्क में भी ओपेन थिएटर प्रस्तावित है।

आवासीय क्षेत्र में नहीं हो सकता व्यवसाय : वीडीए ने सुनियोजित विकास के लिए मास्टर प्लान तैयार किया है। कोशिश भी होती है उसे धरातल पर लाया जाए लेकिन कुछ लोग मनमाने तरीके से निर्माण करते हैं। उन्हें नोटिस जारी करने के साथ सील भी किया जाता है। मास्टर प्लान में तय होता है कि आवासीय, व्यावसायिक, स्कूल-कालेज, पेट्रोल पंप, होटल-गेस्ट हाउस, कल-कारखाना आदि। कई स्थानों पर स्वरूप बदल चुका है उसे सुनियोजित करने का प्रयास किया जा रहा है।

शहर में हरियाली पर ज्यादा जोर : पुराना शहर होने के साथ खुली जमीन कम है। नगर निगम सीमा क्षेत्र में देखा जाए तो हरियाली का अनुपात काफी कम है। ऐसे में वीडीए अपने सीमा क्षेत्र में हरियाली पर ज्यादा जोर दे रहा है। कालोनियों के साथ ऐसे स्थान चिह्नित कर रहा है जहां सिर्फ हरियाली रहे। फिलहाल वीडीए अपने पार्कों का सुंदरीकरण कराने के साथ वहां पौधारोपण करा रहा है। वीडीए ने मास्टर प्लान में जहां ग्रीन एरिया चिह्नित किया था वहां भी निर्माण हो गया है।

नहीं छोड़ते हैं सेट बैक : मकान निर्माण करने के साथ लोग सेट बैक नहीं छोड़ते हैं, यह बड़ी लापरवाही है। मकान में रोशनी नहीं मिलने के साथ कोई हादसा होने पर उन्हें राहत पहुंचाना चुनौती बन जाता है। सामान्य आवासीय भवनों पर 10.5 मीटर और स्टील्ट पार्किंग होने पर 12.5 मीटर ऊंचाई की अनुमति दी जाती है लेकिन एक हजार वर्ग फीट जमीन पर भी लोग पांच से छह मंजिल निर्माण करा लेते हैं जो गलत है।

हर नागरिक को आना होगा आगे : शहर सुंदर और अच्छा दिखे, इसके लिए संबंधित विभाग ही नहीं, बल्कि हर नागरिक को आगे आना होगा। आवासीय क्षेत्र में कोई व्यवसाय करता है तो उसे टोकें, संबंधित विभाग से शिकायत करें। बेसमेंट में कारोबार करने के साथ पार्किंग तक कब्जा किए हैं। ऐसे लोगों को चिह्नित कर कार्रवाई की जा रही है। बेसमेंट में हर हाल में पार्किंग व्यवस्था सुनिश्चित कराई जाएगी। विमर्श में विषय प्रवेश दैनिक जागरण के वरिष्ठ समाचार संपादक भारतीय बसंत कुमार ने किया।

नक्शा पास होने में आने वाले रोड़े दूर किए जा रहे

पुलकित गर्ग ने कहा कि विकास प्राधिकरण से नक्शा पास कराना आसान है। ज्यादातर नक्शों में आर्किटेक्ट सही आवेदन नहीं करते। आनलाइन नक्शा में सभी अधिकारियों की भूमिका व दिन तय है। उससे अधिक समय बीतने पर जवाब देना पड़ता है। अवर अभियंता के आपत्ति लगाने पर भी गलत तथ्यों को सही नहीं करते। ऐसे पांच आर्किटेक्ट को नोटिस जारी किया जा चुका है। तीन बार से अधिक आपत्ति लगाने पर अवर अभियंता से जवाब-तलब किया जाता है। संबंधित विभाग से आने वाले अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) को सरल करने की तैयारी चल रही है।

ट्रांसपोर्ट नगर योजना से खत्म होगा शहर का जाम

शहर को जाम से मुक्त कराने को लेकर ट्रांसपोर्ट नगर योजना में तेजी से काम चल रहा है। पहले पंजीकृत ट्रांसपोर्टरों को लाटरी के जरिए प्लाट उपलब्ध कराए जाएंगे। इसके बाद अन्य ट्रांसपोर्टरों को लिया जाएगा। अक्टूबर के पहले सप्ताह में आवंटन प्रक्रिया शुरू करने की तैयारी है। परिवहन निगम की बसों के लिए बस स्टैंड भी बनाए जाएंगे।

दैनिक जागरण–दि0 24.09.2024

तीन स्थानों पर वीडीए ने सील किए अवैध निर्माण

जागरण संवाददाता, वाराणसी : वाराणसी विकास प्राधिकरण उपाध्यक्ष पुलकित गर्ग के निर्देश पर अवैध निर्माण करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की गई। अवैध निर्माण पर नियंत्रण नहीं होने पर नाराजगी जताते हुए उपाध्यक्ष ने सोमवार को अपर सचिव गुडाकेश शर्मा और संयुक्त सचिव परमानंद यादव को क्षेत्र में भेजा। सारनाथ में पुरातत्व संरक्षित क्षेत्र के पास, रिंग रोड और चौक क्षेत्र में अवैध निर्माण को देखा गया। सभी स्थानों पर अवैध निर्माण को बंद कराते हुए रिपोर्ट भेजी गई। सभी को दोबारा निर्माण नहीं करने की चेतावनी दी गई।

जोन दो में अपर सचिव डा. गुडाकेश शर्मा, जोनल अधिकारी संजीव कुमार और अवर अभियंता जेपी गुप्ता ने सारनाथ वार्ड में पहुंचे। लोहिया नगर कालोनी में दीपक कुमार स्वीकृत मानचित्र के विपरीत निर्माण किए थे जिसे सील कर दिया गया। रिंग रोड पर कई अवैध निर्माण मिले। उसे रोकने के साथ दोबारा काम नहीं करने की चेतावनी दी गई। संयुक्त सचिव परमानंद यादव ने चौक वार्ड के गोविंद कला में बादशाह अली और सराय सिताब में इरशाद आलम के अवैध निर्माण को सील करवाने के साथ चौक पुलिस अभिरक्षा में सौंप दिया।

वाराणसी विकास प्राधिकरण वाराणसी

राजा उदय प्रताप मार्ग पन्ना लाल पार्क वाराणसी-221002

Ph: 0542-2283305/06, Fax: 0542-2283307, E-mail: vdavaranasi@gmail.com, Website:www.vdavns.com

अमर उजाला–दि0 24.09.2024

वीडीए ने 3 अवैध निर्माण सील किए, 10 निर्माण कार्य रोका

वाराणसी। वीडीए ने सोमवार को तीन अवैध निर्माण को सील किए। साथ ही 10 निर्माण को रुकवाया और उन्हें नक्शा पास कराकर निर्माण कराने की हिदायत दी गई। वीडीए के अवर सचिव डॉ. गुडाकेश शर्मा ने सोमवार को सारनाथ का निरीक्षण किया। यहां लोहिया नगर कॉलोनी, फेज-2 के दीपक गुप्ता ने नक्शा के विपरीत निर्माण कराया था। इस निर्माण को सील कर पुलिस अभिरक्षा में दिया गया। सारनाथ वार्ड में रिंग रोड पर 10 निर्माण कार्य को रुकवाया और मानचित्र स्वीकृत कराकर निर्माण कराने कहा। उधर चौक वार्ड के गोविंदपुर कला में बादशाह अली की ओर से और सराय सिताब में इरशाद आलम की ओर से अवैध निर्माण कराया जा रहा था। ब्यूरो

नक्शा दाखिल के बाद मौके का वीडीए उपाध्यक्ष ने किया निरीक्षण : श्याम सुंदर की ओर से व्यावसायिक और बहु आवासीय निर्माण के लिए नक्शा दाखिल किया गया था। मौके पर निरीक्षण करने वीडीए उपाध्यक्ष पुलकित गर्ग पहुंचे। उन्होंने मातहतों को आवेदन के अनुसार आवश्यक कार्रवाई करने की हिदायत दी।

आज–दि0 24.09.2024

चौक में निर्माणाधीन भवन सील

विप्रा उपाध्यक्ष के निर्देश पर सोमवार को अभियंताओं ने चौक वार्ड के गोविन्द्रपुर कला में भवनस्वामी बादशाह अली के अवैध निर्माण पर कारवाई की। जानकारी के अनुसार भवन का निर्माण बिना मानचित्र स्वीकृत किये बिना कराये जा रहा था। शिकायत के आधार पर मौके पर पहुंचे संयुक्त सचिव परमानन्द यादव, जोनल अधिकारी सौरव देव प्रजापति, अवर अभियंता ने मौके पर पहुंचकर निर्माणाधीन भवन को सील कर दिया। संयुक्त सचिव के निर्देश पर अवर अभियंता ने निकटतम थाने की अभिरक्षा में भवन को सौंप दिया।

हिन्दुस्तान–दि0 24.09.2024

वीडीए ने सील किए तीन अवैध निर्माण

वाराणसी। वीडीए प्रशासन ने सोमवार को विभिन्न क्षेत्रों में अवैध निर्माण के खिलाफ कार्रवाई की। चौक वार्ड में गोविंदपुरा कला, सराय खिताब में अवैध निर्माणों को सील किया गया। अपर सचिव डॉ. गुडाकेश शर्मा, जोनल अधिकारी संजीव कुमार ने लोहियानगर कॉलोनी, गंज इलाकों में निरीक्षण किया।

हिन्दुस्तान–दि0 24.09.2024

वीडीए ने नहीं दी मरम्मत की अनुमति

कर्नाटक गेस्ट हाउस

- 1928 में मैसूर स्टेट ने कराया था निर्माण
- सरकार ने दिया था पांच करोड़ खर्च का प्रस्ताव

वाराणसी, विशेष संवाददाता। हरिश्चंद्र घाट के बगल में स्थित कर्नाटक स्टेट गेस्ट हाउस की बिल्डिंग के गिरे हिस्से का सोमवार को कर्नाटक सरकार के धर्मार्थ कार्य विभाग में महाप्रबंधक कृष्ण न्यायमूर्ति ने निरीक्षण किया। उन्होंने बताया कि वर्षभर पहले कर्नाटक सरकार की ओर से पांच करोड़ रुपये से भवन के निर्माण व मरम्मत का प्रस्ताव तैयार हुआ था। सरकार ने फंड भी आवंटित कर दिया था। लेकिन विकास प्राधिकरण ने मरम्मत की अनुमति नहीं दी।

महाप्रबंधक ने बताया 1928 में मैसूर स्टेट की ओर से भवन का निर्माण कराया गया था। तब बिल्डिंग के उत्तर पूर्वी कोने पर बिल्डिंग निर्माण के दौरान सात फीट ऊंचा चबूतरा बनाया गया था ताकि यह भवनों को मजबूती देने के साथ बाढ़ की टक्कर से बचाएगा। पिछले दिनों हरिश्चंद्र घाट के सुंदरीकरण कार्य के लिए शुरू कार्य के दौरान ठेकेदार ने चबूतरा तोड़ दिया। उसी स्थान पर बड़ी-बड़ी मशीन चलाकर खुदाई हो रही है। इससे बिल्डिंग का हिस्सा हिल गया।

उन्होंने बताया कि इस सम्बंध में रिपोर्ट कर्नाटक सरकार को भेजी गई है। मंडलायुक्त व नगर आयुक्त को भी हादसे के कारण से अवगत कराते हुए मरम्मत के लिए पत्र लिखा गया है। गिरे हिस्से के निर्माण में दो करोड़ रुपये के खर्च का प्रस्ताव है। यदि स्थानीय प्रशासन की ओर से मरम्मत नहीं करायी गई तो कर्नाटक सरकार स्वयं मरम्मत शुरू करा देगी।

राष्ट्रीय सहारा–दि0 24.09.2024

वीडीए उपाध्यक्ष ने सिकरौल वार्ड का किया निरीक्षण

व्यावसायिक शमन मानचित्र आवेदन के क्रम में निरीक्षण कर दिये आवश्यक कार्रवाई के निर्देश

वाराणसी (एसएनबी)। वीडीए उपाध्यक्ष पुलकित गर्ग ने सोमवार को सिकरौल वार्ड का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान संजय कुमार गुप्ता वार्ड सिकरौल मौजा सिकरौल परगना शिवपुर में बहु आवासीय प्राप्त शमन मानचित्र तथा श्याम सुंदर पुत्र स्व. रामजीत सिंह अराजी संख्या 282, 286, 287 वार्ड सिकरौल मौजा-सिकरौल परगना-शिवपुर द्वारा प्राप्त व्यावसायिक शमन मानचित्र आवेदन के क्रम में स्थल निरीक्षण किया एवं आवश्यक कार्रवाई के लिए संबंधित को निर्देशित किया गया।

निरीक्षण के दौरान मौके पर अवर अभियंता सिकरौल वार्ड तथा भवन स्वामी उपस्थित रहे।

दो अवैध निर्माण किया सील

वाराणसी। वीडीए उपाध्यक्ष के निर्देश पर सोमवार को जोन-3 की प्रवर्तन टीम ने अवैध निर्माण के विरूद्ध सील की कार्यवाही की। चौक वार्ड में गोविन्दपुर कला में बादशाह अली द्वारा अवैध निर्माण किया जा रहा था चौक वार्ड के सराय सिताब में इरशाद आलम द्वारा अवैध निर्माण किया जा रहा था। जिसे मौके पर सील कराते हुए चौक थाना की अभिरक्षा में सौंप दिया गया। मौके पर संयुक्त सचिव परमानंद यादव व जोनल अधिकारी सौरभदेव प्रजापति और अवर अभियंता रविन्द्र प्रकाश उपस्थित रहे।

अवैध निर्माण पर लगाई रोक

सारनाथ वार्ड में कई अवैध निर्माण सील

वाराणसी। वीडीए उपाध्यक्ष पुलकित गर्ग के निर्देश पर सोमवार को अपर सचिव डॉ. गुडाकेश शर्मा ने जोन-2 के जोनल अधिकारी, संजीव कुमार एवं प्रवर्तन दल के साथ वार्ड-सारनाथ का स्थल निरीक्षण किया गया। निरीक्षण दौरान लोहिया नगर कालोनी, फेज-2, वार्ड-सारनाथ, दीपक गुप्ता, मौजा-गंज में बेसमेंट+भूतल के स्वीकृत नक्शे के विपरीत स्थल पर व्यावसायिक उपयोग के लिए बेसमेंट भूतल के साथ ही स्वीकृति से विपरीत प्रथम तल का निर्माण किया जा रहा था। स्थल निरीक्षण के दौरान आवासीय के लिए स्वीकृत उपयोग के विरूद्ध व्यावसायिक उपयोग के लिए हॉल का निर्माण एवं शटर लगाये जाने तथा स्वीकृत के अतिरिक्त तल का निर्माण करने के कारण जोनल अधिकारी को मौके पर ही भवन सील करने के लिए निर्देशित किया गया। जोनल अधिकारी द्वारा प्रश्नगत भवन को तत्काल सील की कार्यवाही कराते हुए पुलिस अभिरक्षा में सौंप दिया गया है। भविष्य के लिए भी जोनल अधिकारी एवं प्रवर्तन दल को सतत निगरानी रखने के लिए निर्देशित किया गया। उपरोक्त के साथ ही जोन-2 स्थित सारनाथ वार्ड में रिंग रोड के सापेक्ष अन्य गतिमान निर्माणों का भी निरीक्षण किया गया तथा गतिमान निर्माणों को रूकवाते हुए निर्माणकर्ताओं को मानचित्र स्वीकृत कराने के निर्देश दिये गये तथा जोनल अधिकारी के स्थल पर सतत निगरानी रखने के निर्देश दिए गए, जिससे चोरी-छिपे निर्माण न हो, निरीक्षण के दौरान सहायक अभियंता सिंह संजीव कुमार, अवर अभियंता जय प्रकाश गुप्ता व प्रवर्तन दल मौजूद रहे।

न्यायाधीश–दि0 24.09.2024

वाराणसी विकास प्राधिकरण ने सील किया अवैध निर्माण

वाराणसी। उपाध्यक्ष वाविप्रा द्वारा प्रदत्त निर्देश के क्रम में 23-सितम्बर को विकास प्राधिकरण वाराणसी जोन.3 की प्रवर्तन टीम द्वारा अवैध निर्माण के विरुद्ध सील की कार्यवाही सम्पादित की गयी।इसके तहत वार्ड.चौक में गोविन्द्रपुर कला में बादशाह अली द्वारा अवैध निर्माण किया जा रहा था चौक वार्ड के सराय सिताब में इरशाद आलम द्वारा अवैध निर्माण किया जा रहा था। जिसे मौके पर सील कराते हुए चौक थाना की अभिरक्षा मे सौंप दिया गया।इस मौके पर संयुक्त सचिव परमानन्द यादवए जोनल अधिकारी श्री सौरभदेव प्रजापति व अवर अभियंता श्री रविन्द्र प्रकाश उपस्थित रहे।उपाध्यक्ष वाविप्रा द्वारा आम जन मानस से अपील की गयी है कि वाराणसी विकास प्राधिकरण से मानचित्र स्वीकृत कराये बिना किसी भी प्रकार का निर्माण कार्य न करें अन्यथा की स्थिति में प्राधिकरण द्वारा सख्त कार्यवाही की जायेगी।

न्यायाधीश–दि0 24.09.2024

अपर सचिव वीडीए ने वार्ड सारनाथ के स्थल निरीक्षण के दौरान सील किया भवन

वाराणसी।उपाध्यक्ष वाविप्रा द्वारा प्रदत्त निर्देश के क्रम में अपर सचिव डा0 गुडाकेश शर्मा द्वारा जोन-2 के जोनल अधिकारी, श्री संजीव कुमार एवं प्रवर्तन दल के साथ वार्ड -सारनाथ का स्थल निरीक्षण किया गया। निरीक्षण दौरान लोहिया नगर कालोनी, फेज-2,वार्ड-सारनाथ, दीपक गुप्ता, मौजा - गंज, 410 स्क्वायर मीटर क्षेत्रफल में बेसमेण्ट्र भूतल के स्वीकृत नक्शे के विपरीत स्थल पर व्यावसायिक उपयोग हेतु बेसमेण्ट भूतल के साथ ही स्वीकृति से विपरीत प्रथम तल का निर्माण किया जा रहा था। स्थल निरीक्षण के दौरान आवासीय हेतु स्वीकृत उपयोग के विरूद्ध व्यावसायिक उपयोग के लिए हॉल का निर्माण एवं शटर लगाये जाने तथा स्वीकृत के अतिरिक्त तल का निर्माण करने के कारण जोनल अधिकारी को मौके पर ही भवन सील करने हेतु निर्देशित किया गया। जोनल अधिकारी द्वारा प्रश्नगत भवन को तत्काल सील की कार्यवाही कराते हुए पुलिस अभिरक्षा में सौंप दिया गया है। भविष्य के लिए भी जोनल अधिकारी एवं प्रवर्तन दल को सत्त निगरानी रखने हेतु निर्देशित किया गया उपरोक्त के साथ ही जोन-2 स्थित सारनाथ वार्ड में रिंग रोड के सापेक्ष अन्य गतिमान निर्माणों का भी निरीक्षण किया गया तथा गतिमान निर्माणों को रूकवाते हुए निर्माणकर्ताओं को मानचि.त्र स्वीकृत कराने के निर्देश दिये गये तथा जोनल अधिकारी के स्थल पर सतत् निगरानी रखने के निर्देश दिए गए, जिससे चोरी-छिपे निर्माण न हो, निरिक्षण के दौरान सहायक अभियंता सिह संजीव कुमार,अवर अभियंता जय प्रकाश गुप्ता व प्रवर्तन दल मौजूद रहे।

वाराणसी विकास प्राधिकरण वाराणसी

राजा उदय प्रताप मार्ग पन्ना लाल पार्क वाराणसी-221002

Ph: 0542-2283305/06, Fax: 0542-2283307, E-mail: vdavaranasi@gmail.com, Website:www.vdavns.com

न्यायाधीश–दि0 24.09.2024

व्यावसायिक शमन मानचित्र के आवेदन पर किया स्थल निरीक्षण

वाराणसी।वाराणसी विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष द्वारा 23 सितम्बर को स्थल निरीक्षण किया गया। स्थल निरीक्षण के दौरान संजय कुमार गुप्ता वार्ड सिकरौल मौजा सिकरौल परगना शिवपुर आराजी संख्या 829/2,825/1 Net Plot Area 447.0 SQM stilt plus 4th floor बहु आवासीय प्राप्त शमन मानचित्र तथा श्याम सुंदर पुत्र स्वर्गीय रामजीत सिंह अराजी संख्या 282,286,287 वार्ड सिकरौल मौजा-सिकरौल परगना-शिवपुर द्वारा प्राप्त व्यावसायिक शमन मानचित्र B+G, Net Plot Area 122.50 SQM, आवेदन के क्रम में स्थल निरीक्षण किया गया एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु संबंधित को निर्देशित किया गया। निरीक्षण के दौरान मौके पर अवर अभियंता सिकरौल वार्ड तथा भवन स्वामी उपस्थित रहे।

परफेक्ट मिशन–दि0 24.09.2024

वीडीए उपाध्यक्ष ने किया स्थलीय निरीक्षण

वाराणसी (परफेक्ट मिशन)। वाराणसी विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष ने सोमवार को स्थलीय निरीक्षण किया। स्थलीय निरीक्षण के दौरान संजय कुमार गुप्ता वार्ड सिकरौल मौजा सिकरौल परगना शिवपुर आराजी संख्या 829/2,825/1 नेट प्लाट एरिया 447.0 एसक्यूएम स्टील्ट प्लस 4 फ्लोर बहु आवासीय प्राप्त शमन मानचित्र तथा श्याम सुंदर पुत्र स्वर्गीय रामजीत सिंह अराजी संख्या 282,286,287 वार्ड सिकरौल मौज़ा-सिकरौल परगना-शिवपुर द्वारा प्राप्त व्यावसायिक शमन मानचित्र बी +जी, नेट प्लाट एरिया 122.50 एसक्यूएम, आवेदन के क्रम में स्थल निरीक्षण किया गया एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु संबंधित को निर्देशित किया गया। निरीक्षण के दौरान मौके पर अवर अभियंता सिकरौल वार्ड तथा भवन स्वामी उपस्थित रहे।

ज्ञानशिखा टाइम्स–दि0 24.09.2024

वाराणसी विकास प्राधिकरण ने की सील की कार्यवाही

वाराणसी। उपाध्यक्ष द्वारा सोमवार को विकास प्राधिकरण वाराणसी जोन.3 की प्रवर्तन टीम द्वारा अवैध निर्माण के विरूद्ध सील की कार्यवाही सम्पादित की गयी।

वाड.चौक में गोविन्द्रपुर कला में बादशाह अली द्वारा अवैध निर्माण किया जा रहा था चौक वार्ड के सराय सिताब में इरशाद आलम द्वारा अवैध निर्माण किया जा रहा था। जिसे मौके पर सील कराते हुए चौक थाना की अभिरक्षा मे सौंप दिया गया।मौके पर संयुक्त सचिव परमानन्द यादवए जोनल अधिकारी श्री सौरभदेव प्रजापत्ति व अवर अभियंता श्री रविन्द्र प्रकाश उपस्थित रहे।

उपाध्यक्ष द्वारा आम जन मानस से अपील की गयी है कि वाराणसी विकास प्राधिकरण से मानचित्र स्वीकृत कराये बिना किसी भी प्रकार का निर्माण कार्य न करें अन्यथा की स्थिति में प्राधिकरण द्वारा सख्त कार्यवाही की जायेगी।

तरूणमित्र न्यूज–दि0 24.09.2024

वीडीए की टीम ने अवैध निर्माण किया सील

तरुणमित्र न्यूज

वाराणसी। वीडीए उपाध्यक्ष पुलकित गर्ग के निर्देश पर सोमवार को विकास प्राधिकरण वाराणसी जोन 3 की प्रवर्तन टीम ने अवैध निर्माण के विरूद्ध सील की कार्यवाही को अंजाम दिया।वार्ड.चौक में गोविन्द्रपुर कला में बादशाह अली द्वारा अवैध निर्माण किया जा रहा था चौक वार्ड के सराय सिताब में इरशाद आलम द्वारा अवैध निर्माण किया जा रहा था। जिसे मौके पर सील कराते हुए चौक थाना की अभिरक्षा में सौंपदिया गया।

वीडीए के संयुक्त सचिव परमानंद यादव अवैध निर्माण को सील करवाते हुए

मौके पर संयुक्त सचिव परमानन्द यादव, जोनल अधिकारी सौरभदेव प्रजापत्ति व अवर अभियंता रविन्द्र प्रकाश उपस्थित रहे।उपाध्यक्ष पुलकित गर्ग द्वारा आम जन मानस से अपील की गयी है कि वाराणसी विकास प्राधिकरण से मानचित्र स्वीकृत कराये बिना किसी भी प्रकार का निर्माण कार्य न करें अन्यथा की स्थिति में प्राधिकरण द्वारा सख्त कार्यवाही की जायेगी।